राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	479/2019 मूलसिंह / जगमालसिंह हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04/1/21	आज यह पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। संक्षिप्त में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि वादी/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरुद्ध प्रतिवादीगण/रेस्पो. मुख्य रूप से इस आशय का प्रस्तुत किया कि आराजी हाल खसरा नम्बर 364/0.75 जिसके साबिक खसरा नम्बर 157 वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली जिसके पूर्व में ½ हिस्से के खातेदार काश्तकार अपीलान्ट के पिता रूप सिंह पुत्र जीवण सिंह थे तथा शेष हिस्से ½ के खातेदार काश्तकार लादू सिंह वगैरा थे। शेष ½ हिस्से में अपीलान्ट के पिता 1/10 हिस्सा था। आराजी साबिक खसरा नम्बर 157 वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली के अतिरिक्त अन्य खातेदारान लादूसिंह वगैरा की सामिल खातेदारी की भूमि किता 42 रकबा 115 बीघा 15 बिस्वा वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली का सभी सहखातेदारान ने आपसी सहमती से तकासमाँ कर लिया था तथा आराजी हाल खसरा नम्बर 157 वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली अपीलान्ट के पिता रूप सिंह के हिस्से में आई थी तथा उक्त बटवारे का अंकन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया था परन्तु सेटलमेन्ट पश्चात नये बने रिकार्ड में आराजी साबिक खसरा नम्बर 157 सम्पूर्ण से बने हाल खसरा नम्बर 364/0.75 वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली में अकेले अपीलान्ट के पिता रूप सिंह पुत्र जीवण सिंह का नाम दर्ज करने की बजाय बटवारे से पूर्व खातेदारान लादू सिंह वगैरा का नाम दर्ज कर दिया जबकि शेष किता 41 रकबा 114 बीघा 09 बिस्वा भूमि में मुताबिक बटवारा अन्य सहखातेदारान के नाम राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग दर्ज कर दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर पक्षकारान द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लिखित राजीनामा प्रस्तुत किया गया। तत्तपश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण द्वारा बहस नही करना प्रकट किये जाने पर वादी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर वादी का वाद अपने निर्णय दिनांक 12/07/2019 के माध्यम से ख़ारिज फरमा दिया गया। जिससे व्यथित होकर वादी/अपीलांट द्वारा यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी। जिसमे रेस्पो. के बावजूद सुचना	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

तारीख हुक्म

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

479/2019 मूलसिंह / जगमालसिंह

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अनुपस्थित रहने से अपीलार्थी की बहस एकतरफा में समायत की गयी।

अधिवक्ता अपीलार्थी ने बहस के प्रारम्भ में हमारा ध्यान अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान के मध्य हुये राजीनामा दिनांक 11/07/2017 की और आकर्षित करा कर निवेदन किया कि पक्षकारान के मध्य विवादग्रस्त भूमि में पक्षकारान के सहमती से कायम हुये हिस्से के सन्दर्भ में आपसी सहमती है इसी वजह से दौराने सेटलमेन्ट पक्षकारान की सहमती के आधार पर आराजी का बटवारा कर उसका अंकन दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में कर दिया गया था परन्तु सेटलमेन्ट पश्चात बने नये रिकार्ड में पक्षकारान की सहमती के आधार पर तैयार रिपोर्ट के विपरीत खसरा नम्बर 157 सम्पूर्ण से बने हाल खसरा नम्बर 364/0.75 वाके मौजा भैसलाना में अकेले अपीलांट के पिता रूप सिंह का नाम दर्ज करने के बजाय पूर्व खातेदारान लादू सिंह का नाम दर्ज कर दिया गया। एवं शेष आराजी पर मुताबिक बटवारा सहखातेदारों के नाम दर्ज कर दिया गया। इसी त्रुटी की दुरुस्ती हेतु सभी पक्षकारान सहमत है एवं समस्त पक्षकारान द्वारा अपनी सहमती स्वरूप राजीनाम निस्तादित कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य की अनदेखी कर निर्णय जैर अपील गलत रूप से पारित कर दिया गया है। जिससे पक्षकारो के मध्य भविष्य में नवीन विवाद उत्पन होने की सम्भावना बनी रहती है। अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस के अन्त में निवेदन किया कि जब पक्षकारान अपनी आराजी के सन्दर्भ में विवाद निस्तारण हेतु सहमत है तो ऐसी स्थिति में पक्षकारो द्वारा विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में जाहिर की गयी सहमती के आधार पर ही निर्णय किया जाना चाहिये अत: निर्णय जैर अपील निरस्त किया जाकर अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे। एवं अपीलार्थीगण को खसरा नम्बर 364/0.75 हैक्टेयर वाके मौजा भेसलाना का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

हमने अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
479/2019	भूमासिह / जगमालसिह	

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह जाहिर है कि पक्षकारान द्वारा आपसी सहमती से बटवारा किये जाने के फलस्वरूप खसरा नम्बर 157 स्थित मोजा भेसलाना के सन्दर्भ में अपीलार्थी के पिता रूप सिंह का नाम दौराने सेटलमेन्ट राजस्व रिकार्ड में अंकित कर दिया गया था | तत्तपश्चात राजस्व कर्मचारीयो द्वारा बनाये गये राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन कर दिया गया , जिसके सन्दर्भ में पक्षकारान द्वारा पुनः राजीनामा निस्तादित कर दुरस्ती हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस्तदुआ की गयी | इसी परिस्थिति में पक्षकारान के मध्य कायम हुई सहमती के आधार पर विवादग्रस्त भूमि के सन्दर्भ में दुरुस्ती किया जाना न्यायोचित स्थिति रहती है जिससे पक्षकारान के मध्य भविष्य में उत्पन होने वाले विवादों पर विराम लगता है सम्भवतया प्रतिवादी/रेस्पो. द्वारा अपनी सहमती स्वरूप निष्पादित राजीनामे को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के पश्चात वे प्रकरण में इसी वजह से निरन्तर अनुपस्थित रहे है | जिससे भी उक्त राजीनामे के सन्दर्भ में उनकी आज भी सहमती होना दर्शित होता है | चूँकी प्रकरण के पक्षकारान अपनी आराजी के सन्दर्भ में सहमत है अतः प्रकरण में अन्य कोई विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नही होने से अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारान में मध्य हुये राजीनामे के अनुसार अर्थात मात्र उभयपक्षों की सहमती के आधार पर निर्णय व डिक्री जैर अपील दिनांक 12/07/2019 निरस्त किये जाकर वाद वादीगण/अपीलान्ट स्वीकार किया जाकर वादीगण/अपीलान्ट्स को वाके मौजा भैसलाना तहसील कोटपुतली स्थित हाल खसरा नम्बर 364 रकबा 0.75 हैक्टेयर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन हो | तदनुसार अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 04/01/2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर